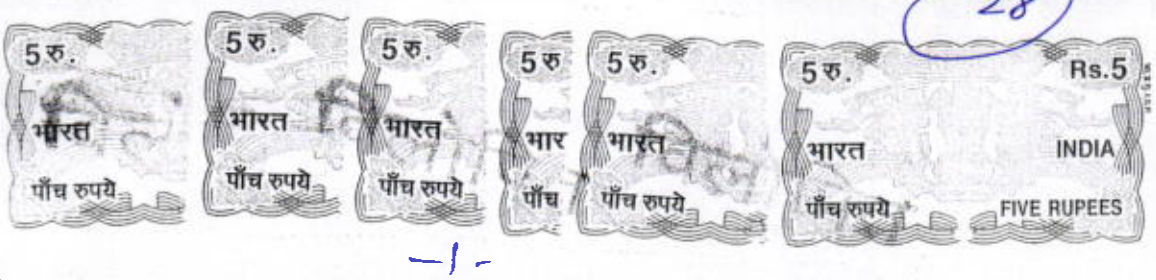

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक –दो/2016 निगरानी

1– राजेन्द्र सिंह रघुवंशी पुत्र

श्री अमर सिंह रघुवॅशी

2– मोहन सिंह रघुवंशी पुत्र

श्री अमर सिंह रघुवंशी

निवासीगण गुना रोड अशोकनगर

3– भानुसिंह रघुवंशी पुत्र

स्व. लक्ष्मण सिंह रघुवंशी

निवासी अशोकनगर तहसील व अशोकनगर––आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर अशोकनगर

2– तहसीलदार तहसील अशोकनगर मध्य प्रदेश

––अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 , मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 तहसीलदार अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 21अ–3/ 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 15–9–16 के विरूद्ध)

Xxxix(a)-BR(h)-11

-2-

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण कमांक 3936-दो/2016 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ता
5-12-2016	यह निगरानी तहसीलदार अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 21 अ-3/2015-16 में पारित आदेश दिनॉक 15-9-2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण व्दारा उनके खाते की मौजा अशोकनगर स्थित भूमि सर्वे कमांक 70/2 रकबा 0.308 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) जिसमें आवेदक कमांक 1 एंव 2 का हिस्सा 1/2 एंव आवेदक कमांक 3 का हिस्सा 1/2 (समान भाग) के अनुसार बटॉकन किये जाने का मॉग आवेदन तहसीलदार अशोकनगर को प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 21 अ-3/2015-16 पंजीबद्व किया तथा मौके की स्थिति एंव नक्शा के मान से राजस्व निरीक्षक से बटांकन के प्रस्ताव मांगे। राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 12-3-16 को मौके की स्थिति अनुसार वादग्रस्त भूमि की नप्ती कर नक्शा अक्स में बटांकन करते हुये प्रस्ताव तहसीलदार अशोकनगर को प्रस्तुत किये, जिस पर से तहसीलदार अशोकनगर ने आदेश दिनांक 15-9-16 पारित करके आवेदकगण का आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।	

3/ आवेदकगण के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक एंव मध्य प्रदेश शासन के पैनल लायर श्री डी0के0शुक्ला के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने दिनांक 12-3-2016 को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि की है एंव पंचनामा तैयार किया है। पटवारी नक्शा के मान से एंव मौके पर कब्जे के मान से पंचों के समक्ष राजस्व निरीक्षक ने भूमि सर्वे कमांक 70/2 रकबा 0.308 हैक्टर को दो समान भागों में अर्थात सर्वे नंबर 70/2 के स्थान पर 70/2-क एंव 70/2-ख में विभक्त किया है जैसा कि राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रस्तुत अक्श नक्शा बटांकन से प्रकट है, जिसमें भूमि स्केल 1 इंच = 300 फीट का परिमाप कर भूमि नियमानुसार बटांकित करने के प्रस्ताव दिये हैं।

राजस्व निरीक्षक के उक्त प्रस्ताव को तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 21 अ-3/2015-16 में पारित आदेश दिनॉक 15-9-2016 से इसलिये अमान्य किया है कि वर्तमान नक्शा उन्हें संदिग्ध लगा है एंव उसकी प्रथक से जॉच करा रहे हैं। विचार योग्य है कि यह मान भी लिया जाय कि नक्शा संदिग्ध है किन्तु जब वादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक 70/2 रकबा 0.308 हैक्टर पूर्व के सही नक्शे के आधार पर अपने स्थान पर यथावत् है एंव इसी भूमि को दो सहखातेदारों की सहमति पर हिस्सा 1/2 एंव हिस्सा 1/2 में समान भाग पर कब्जे के मान से नक्शा अक्स अनुसार विभक्त कियागया है मौके पर भूमि चिन्हित कर राजस्व निरीक्षक व्दारा पूर्व के

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण कमांक 3936–दो/2016 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ता

नक्शे के आधार पर आवेदकगण के स्वामित्व की भूमि को समान भाग पर विभाजित करते हुये बटांकन के प्रस्ताव देने में त्रृटि करना नहीं पाया जाता है, अपितु प्रतीत होता है कि तहसीलदार अशोकनगर ने राजस्व निरीक्षक की विधिवत् कार्यवाही उपरांत प्रस्तुत प्रस्ताव को जानबूझकर नजरन्दाज करके आवेदकगण का आवेदन अमान्य किया है जिसके कारण तहसीलदार अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 21 अ–3/ 2015–16 में पारित आदेश दिनॉक 15–9–2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 21 अ–3/ 2015–16 में पारित आदेश दिनॉक 15–9–2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा राजस्व निरीक्षक अशोकनगर व्दारा भूमि सर्वे कमांक 70/2 को आवेदकगण के बीच सर्वे कमांक 70/2 क एंव 70/2 ख में किये गये बटांकन प्रस्ताव को यथावत् स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार अशोकनगर को आदेश दिये जाते है कि तद्नुसार बटांकन का अमल शासकीय अभिलेख में किया जावे ।

सदस्य